दिनांक 23 फरवरी 2023 को जिला अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति महोदय की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1 मुख्य चिकित्साधिकारी टिहरी गढवाल।
2 जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, टिहरी गढवाल।
3 जिला क्षयरोग नियन्त्रण अधिकारी, टिहरी गढवाल।
4 अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, एन0एच0एम0, टिहरी गढवाल।
5 कोषाधिकारी, टिहरी गढवाल।
6 जिला समाज कल्याण अधिकारी, टिहरी गढवाल।
7 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, टिहरी गढवाल।
8 जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, टिहरी गढवाल।
9 प्रतिनिधि अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, टिहरी गढवाल।
10 प्रतिनिधि अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, टिहरी गढवाल।
11 प्रतिनिधि, बाल विकास परियोजना अधिकारी, टिहरी गढवाल।
12 जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के अर्न्तगत जनपद स्तर पर कार्यरत प्रबन्धक/प्रोग्राम ऑफिसर/कोर्डिनेटर।

उक्त बैठक का बिन्दुवार कार्यवृत्त निम्न प्रकार से हैः–

- **प्रस्तावना**

1 सर्वप्रथम मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति के सभी सदस्यों को राष्ट्रीय कार्यक्रमों की जानकारी तथा उद्‌देश्य से अवगत कराया गया, जिसके पश्चात सूक्ष्म प्रस्तुतिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की भौतिक प्रगति व वित्तीय प्रगति, निर्माण कार्य तथा अनुमोदित प्रशिक्षण के अवगत कराना गया। बैठक के दौरान हुई चर्चा तथा निर्देशों का विवरण कार्यक्रमवार निम्नवत हैः–

- **मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम**

2 मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण से सम्बन्धित प्रस्तुतिकरण के दौरान पाया गया कि जनपद में मात्र 70 प्रतिशत ही गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण हो पा रहा है, जिसमें कि **ब्लॉक जाखणीधार तथा ब्लॉक चम्बा** में क्रमशः 59 प्रतिशत, 63 प्रतिशत है, जिस पर जिला अधिकारी महोदय द्वारा गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुये निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित ब्लॉक के प्रभारी चिकित्साधिकारियों के द्वारा यदि आगामी बैठक में आपेक्षित सुधार नही लाया जाता है, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(आवश्यक कार्यवाही–सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी)

3 जिला अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये सभी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं को समस्त ए.एन.सी. सुविधाओं का लाभ दिये जाने हेतु उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर जानकारी साझा किये जाने हेतु Text Massege हेतु जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी से समन्वय स्थापित करना सुनिश्चित करें।

(आवश्यक कार्यवाही–अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, एन0एच0एम0)

जिला अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये 10 माह पूर्व की सभी पंजीकृत गर्भवती महिलाओं का डेटा संकलित कर उनके द्वारा किस चिकित्सा इकाई में संस्थागत प्रसव कराया गया है, उसकी रिर्पोट आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

(आवश्यक कार्यवाही–अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, एन0एच0एम0)

5 जिला अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन ब्लॉको में संस्थागत प्रसव लक्ष्य के सापेक्ष काफी न्यून है, उन ब्लॉको/प्रसव केन्द्रो में शतप्रतिशत संस्थागत प्रसव कराया जाय, जिसकी समीक्षा आगामी माह में की जायेगी, उक्त के अतिरिक्त ब्लॉक कीर्तिनगर, नरेन्द्रनगर, थौलधार, तथा जाखणीधार में सस्थागत प्रसव बहुत ही न्यून है, सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा यदि सुधार नही लाया गया तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(आवश्यक कार्यवाही–सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी)

6 प्रस्तुतिकरण के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत आर0बी0एस0के0 टीम के द्वारा आंगनवाडी का भ्रमण लक्ष्य के सापेक्ष न होने के कारण लक्षित बच्चों की स्क्रीनिंग मात्र 67 प्रतिशत है, जिस हेतु जिला अधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिये गये कि शतप्रतिशत आंगनवाडी का भ्रमण कर स्क्रीनिंग का कार्य पूर्ण किया जाय।

(आवश्यक कार्यवाही– अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, एन0एच0एम0 व समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी)

- **<u>राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम</u>**

7 जिला अधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिये गये कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत इस वित्तीय वर्ष की गयी स्क्रीनिंग के उपरान्त क्या–क्या बीमारियां चिन्हित की गयी है, डाटा संकलित कर उनको उपलब्ध कराया जाय, साथ आर0बी0एस0के0 टीम के द्वारा इस वित्तीय वर्ष में स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुल 4092 बच्चों को रेफर किये जाने हेतु चिन्हित किया गया था, परन्तु मात्र 1103 बच्चों को ही उपचार हेतु प्रा0स्व0केन्द्र, सामु0स्वा0केन्द्र , जिला चिकित्सालय तथा डी0ई0आई0सी0 को रेफर किया गया है, जिसके सापेक्ष मात्र 1089 बच्चों का वर्तमान तक उपचार हो पाया है, जिस हेतु जिला अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि किन कारणो से स्क्रीनिंग के सापेक्ष मात्र 1103 बच्चो को उपचार हेतु रेफर किया गया तथा रेफर के सापेक्ष मात्र 1089 बच्चों का उपचार हो पाया है, की स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(आवश्यक कार्यवाही–अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, एन0एच0एम0)

- **<u>राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम</u>**

8 जिला अधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिये गये कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत कार्यरत परामर्शदाता की दक्षता का पुनः परीक्षण किया जाय, यदि उन्हे प्रशिक्षण की आवश्यकता हो तो उनको प्रशिक्षित किया जाय।

(आवश्यक कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, एन0एच0एम0)

9 जिला अधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्तमान तक जिन किशोरियों को सेनेट्री नेपकीन वितरित किये गये है, उनका फीडबैक निर्धारित फार्मेट पर लेकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(आवश्यक कार्यवाही–अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, एन0एच0एम0)

जिला अधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिये गये कि सी0एच0ओ0 के द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष स्क्रीनिंग काफी कम है लक्ष्य के सापेक्ष स्क्रीनिंग करने हेतु निर्देश दिये गये।

(आवश्यक कार्यवाही–सम्बन्धित प्रभारी चिकित्साधिकारी)

- <u>हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर</u>

11 जिला अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि सी.पी.एच.सी. कार्यक्रम के अर्न्तगत सी0एच0ओ0, आशा तथा ए.एन.एम. की Induction, Expended व Eat Right India प्रशिक्षण सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

(आवश्यक कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, एन0एच0एम0)

- परिवार नियोजन

12 मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद स्तर से परिवार नियोजन प्रकरण राज्य इण्डेमिनिटी को,श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री विजय कुमार ग्राम सिमलसारी, श्रीमती ममता देवी पत्नी श्री प्रप्पू लाल ग्राम भण्डार्की एवं श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री जयवीर सिंह ग्राम अलमस को मुआवजे हेतु प्रेषित किये जाने है।

13 जनपद के डा0 तुलसी बिष्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, डा0 वर्षा पंवार, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं डा0 जगदीश जोशी शल्यकों को अधिकृत किया गया।

(आवश्यक कार्यवाही–अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, एन0एच0एम0)

- <u>राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम</u>

14 जिला अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम के अर्न्तगत सरकारी चिकित्सालय में लक्ष्य के सापेक्ष ऑख का ऑपरेशन कराये जाय।

(आवश्यक कार्यवाही–अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, एन0एच0एम0)

- <u>अन्य</u>

15 जिला अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि **Civil Registration System (CRS) Portal** पर जनपद की सभी ग्राम सभा का पंजीकरण ससमय पूर्ण किया जाय।

(आवश्यक कार्यवाही– मुख्य चिकित्साधिकारी, एन0एच0एम0)

16 अन्त में जिला अधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अर्न्तगत समस्त सूचकांक लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ण किये जाय तथा संस्थागत प्रसव को शतप्रतिशत जनपद में ही कराये जाय, समस्त सूचकांको की समीक्षा आगामी बैठक में की जायेगी, यदि सकारात्मंक परिणाम परिलक्षित नही होते है तो सम्बन्धित के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

(आवश्यक कार्यवाही– अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, एन0एच0एम0 व समस्त प्रभारी चिकित्साधिकारी)

9/3/22

मुख्य चिकित्साधिकारी,
टिहरी गढवाल।

आज दिनांक 24 अप्रैल 2023 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में परिवार नियोजन इंडेमिनिटी स्कीम के संबन्ध में बैठक आहूत की जिसमे निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

1– डा0 एच0सी0एस0 मर्तोलिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रूद्रप्रयाग।
2– डा0 विमल गुसाई, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एन0एच0एम0 रूद्रप्रयाग।
3– डा0 प्रांजली थापा, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, रूद्रप्रयाग।
4– श्री हिमांशु नौडियाल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक।
5– श्री मनवर सिंह रावत, जिला समन्वयक पी0सी0पी0एन0डी0टी0/प0नि0।

बैठक में उपस्थित सदस्यो के समक्ष बैठक का एजेण्डा प्रस्तुत किया गया, जिसमे निम्न बिन्दुओ पर प्रतिभागियो द्वारा निम्नानुसार सुझाव दिये एवं निर्णय लिये गये–

बिन्दु संख्या– 01: बैठक में श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री धमेन्द्र लाल नवासी ग्राम– केडा, पो0ओ0– चंद्रनगर, ब्लॉक– अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग के नसबंदी केस के सम्बन्ध में चर्चा की गयी एवं बिन्दुवार निम्नलिखित तथ्य रखे गये–

- श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री धमेन्द्र लाल नवासी ग्राम– केडा, पो0ओ0– चंद्रनगर, ब्लॉक– अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग का नसबन्दी आपरेशन दिनांक– 09.02.2019 को जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग में हुआ था।
- श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री धमेन्द्र लाल नवासी ग्राम– केडा, पो0ओ0– चंद्रनगर, ब्लॉक– अगस्त्यमुनि, रूद्रप्रयाग की एल0एम0पी0 जनवरी माह की बतायी गयी है।
- श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री धमेन्द्र लाल, द्वारा नसबंदी असफल सम्बन्धी सूचना का पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रूद्रप्रयाग को दिनांक– 14.05.2020 को दिया गया है एवं प्रार्थी द्वारा दिनांक 15 मई 2020 को अल्ट्रासाउण्ड करवाया गया, रिपोर्ट में 17 हफ्ते के गर्भ की पुष्टि की गयी है।
- नसबंदी फार्म बंध्यकरण आपरेशन के लिए आवेदन और सहमति पत्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर है।

बिन्दु संख्या– 02: श्रीमती सोनम देवी पत्नी श्री राजेश कुमार पता हित डांग नया बस अडडा रूद्रप्रयाग के असफल नसबंदी दावे पर चर्चा कर निम्न तथ्य रखे गये–

- श्रीमती सोनम देवी पत्नी श्री राजेश कुमार पता हित डांग नया बस अडडा रूद्रप्रयाग का नसबंदी ऑपरेशन दिनांक 15/02/2023 को जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग में किया गया है।
- श्रीमती सोनम देवी पत्नी श्री राजेश कुमार पता हित डांग नया बस अडडा रूद्रप्रयाग की एल0एम0पी0 28 फरवरी 2023 बतायी गयी है।
- श्रीमती सोनम देवी पत्नी श्री राजेश कुमार, द्वारा नसबंदी असफल सम्बन्धी सूचना का पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रूद्रप्रयाग को दिनांक–09.04.2023 को दिया गया है । प्रार्थी द्वारा बताया गया कि महावारी न होने पर उनके द्वारा दिनांक 08/04/2023 को हे0न0ब0 बेस टीचिंग चिकित्सालय, संबद्व राजकीय मेडिकल कालेज श्रीनगर गढवाल में यू0पी0टी0 करवाया गया जिसमें उनकी रिपोर्ट पाजिटिव आयी है व अल्ट्रासाउण्ड रिपोर्ट में Pregnancy of unknown location (Intera Uterine) अंकित है।
- नसबंदी फार्म बंध्यकरण आपरेशन के लिए आवेदन और सहमति पत्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर है।

उक्त केसों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि उक्त वर्णित प्रकरण को परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना के तहत क्षतिपूर्ति देय राशि के भुगतान संबंधित अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य स्तर को आख्या समिति के सदस्यों द्वारा प्रेषित किया जाय।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
रूद्रप्रयाग।
दिनांक–24 मार्च अप्रैल 2023

पत्रांकः रा0का0/पी0सी0पी0एन0डी0टी0/21 /
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1– जिला अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रभारी अधिकारी परिवार कल्याण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन महानिदेशाल चि0स्वा0प0क0 देहरादून।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
रूद्रप्रयाग।

आज दिनांक 25 मार्च 2022 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में परिवार नियोजन इंडेमिनिटी स्कीम के संबन्ध में बैठक आहूत की जिसमे निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

1– डा0 बी0के0शुक्ला मुख्य चिकित्सा अधिकारी रूद्रप्रयाग।

2– डा0 विमल गुसाई, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एन0एच0एम0 रूद्रप्रयाग।

3– डा0 प्रांजली थापा, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, रूद्रप्रयाग।

4– श्री हिमांशु नौडियाल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक।

5– श्री मनवर सिंह रावत, जिला समन्वयक पी0सी0पी0एन0डी0टी0/प0नि0।

बैठक में उपस्थित सदस्यो के समक्ष बैठक का एजेण्डा प्रस्तुत किया गया, जिसमे निम्न बिन्दुओ पर प्रतिभागियो द्वारा निम्नानुसार सुझाव दिये एवं निर्णय लिये गये–

बैठक में श्रीमती माया देवी पत्नी श्री बीरेन्द्र सिंह नवासी ग्राम– बावई, पो0 बावई, ब्लॉक– जखोली, रूद्रप्रयाग के नसबंदी केस के सम्बन्ध में चर्चा की गयी एवं बिन्दुवार निम्नलिखित तथ्य रखे गये–

- श्रीमती श्रीमती माया देवी पत्नी श्री बीरेन्द्र सिंह नवासी ग्राम– बावई, पो0 बावई, ब्लॉक– जखोली, रूद्रप्रयाग का नसबन्दी आपरेशन दिनांक– 26.08.2020 को जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग में हुआ था।
- श्रीमती माया देवी पत्नी श्री बीरेन्द्र सिंह नवासी ग्राम– बावई, पो0 बावई, ब्लॉक– जखोली, रूद्रप्रयाग की एल0एम0पी0 डिलीवरी डेट 26/08/2020 से पहले की बतायी गयी है, श्रीमती माया देवी पत्नी श्री बीरेन्द द्वारा बताया गया है कि **Menstrual Cycle** पूर्व से भी अनियमित होती थी, डिलीवरी के समय ही उक्त महिला द्वारा Post Partum tubal Strilization किया गया है,।
- श्रीमती माया देवी पत्नी श्री बीरेन्द्र सिंह, द्वारा नसबंदी असफल सम्बन्धी सूचना का पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रूद्रप्रयाग को दिनांक– 15.02.2022 को दिया गया है। प्रार्थी द्वारा बताया गया कि जब तबियत खराब होने लगी तो उसने दिनांक 10.02.22 को जनकल्याण हॉस्पिटल रूद्रप्रयाग में अल्ट्रासाउण्ड करवाया, उक्त रिपोर्ट में गर्भधारण की पुष्टि की हुई है, महिला के गर्भ में 07 सप्ताह 06 दिन का फीटस है।
- नसबंदी फार्म बंध्यकरण आपरेशन के लिए आवेदन और सहमति पत्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर है।

समिति के सदस्यों द्वारा उक्त केस के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि उक्त वर्णित प्रकरण को परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना के तहत क्षतिपूर्ति देय राशि के भुगतान संबन्धित अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य स्तर को आख्या प्रेषित किया जाय।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
रूद्रप्रयाग।

पत्रांक: रा0का0/पी0सी0पी0एन0डी0टी0/21 /

दिनांक– मार्च 2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

1– जिला अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2– प्रभारी अधिकारी परिवार कल्याण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन महानिदेशाल चि0स्वा0प0क0 देहरादून।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
रूद्रप्रयाग।

आज दिनांक 05 अप्रैल 2022 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय रूद्रप्रयाग की अध्यक्षता में परिवार नियोजन इंडेमिनिटी स्कीम के संबन्ध में बैठक आहूत की जिसमे निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

1– डा0 बी0के0शुक्ला मुख्य चिकित्सा अधिकारी रूद्रप्रयाग।
2– डा0 विमल गुसाईं, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एन0एच0एम0 रूद्रप्रयाग।
3– डा0 प्रांजली थापा, चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, रूद्रप्रयाग।
4– श्री हिमांशु नौडियाल, जिला कार्यक्रम प्रबंधक।
5– श्री मनवर सिंह रावत, जिला समन्वयक पी0सी0पी0एन0डी0टी0/प0नि0।

FP15

बैठक में उपस्थित सदस्यो के समक्ष बैठक का एजेण्डा प्रस्तुत किया गया, जिसमे निम्न विन्दुओ पर प्रतिभागियो द्वारा निम्नानुसार सुझाव दिये एवं निर्णय लिये गये–

बैठक में श्रीमती विजेश्वरी देवी पत्नी श्री राम लाल नवासी ग्राम– गोत्री, पो0 देवीधार, ममणी ,ब्लॉक– जखोली, रूद्रप्रयाग के नसबंदी केस के सम्बन्ध में चर्चा की गयी एवं विन्दुवार निम्नलिखित तथ्य रखे गये–

- श्रीमती विजेश्वरी देवी पत्नी श्री राम लाल नवासी ग्राम– गोत्री, पो0 देवीधार, ममणी ,ब्लॉक– जखोली, रूद्रप्रयाग का नसबन्दी आपरेशन दिनांक– 06.12.2021 को सा0स्वा0कें0 जखोली में हुआ था।
- श्रीमती विजेश्वरी देवी पत्नी श्री राम लाल नवासी ग्राम– गोत्री, पो0 देवीधार, ममणी ,ब्लॉक– जखोली, रूद्रप्रयाग की एल0एम0पी0 05/11/2021 बतायी गयी है, एल0एम0पी0 नसबंदी से पहले बताई गयी है जबकि नसबंदी के समय उक्त महिला की यूपीटी रिपोर्ट निगेटिव दिखाई गयी है।
- श्रीमती विजेश्वरी देवी पत्नी श्री राम लाल, द्वारा नसबंदी असफल सम्बन्धी सूचना का पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रूद्रप्रयाग को दिनांक– 28.01.2022 को दिया गया है। दिनांक 28.01.2022 को सा0स्वा0कें0 जखोली में प्रार्थी द्वारा यू0पी0टी0 करवाया गया है जिसमें उनकी रिपोर्ट पोजिटिव आई है, जिसकी पुष्टि दिनांक– 31.01.2022 को प्रार्थी द्वारा जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग में किये गये अल्ट्रासाउण्ड से होती है कि उक्त महिला के गर्भ में 10 सप्ताह 05 दिन का फीटस है।
- नसबंदी फार्म बंध्यकरण आपरेशन के लिए आवेदन और सहमति पत्र पर प्रार्थी के हस्ताक्षर है।

समिति के सदस्यों द्वारा उक्त केस के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि उक्त वर्णित प्रकरण को परिवार नियोजन इन्डेमिनिटी योजना के तहत क्षतिपूर्ति देय राशि के भुगतान संबन्धित अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य स्तर को आख्या प्रेषित किया जाय।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
रूद्रप्रयाग।

पत्रांकः रा0का0/पी0सी0पी0एन0डी0टी0/21 /

दिनांक– अप्रैल 2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
1– जिला अधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रभारी अधिकारी परिवार कल्याण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन महानिदेशाल चि0स्वा0प0क0 देहरादून।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
रूद्रप्रयाग।

दिनांक 27.06.2023 को जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला क्वालिटी एश्योरेन्स समिति एवं उपसमिति

1. श्री विनीत तोमर, जिला अधिकारी अल्मोडा।
2. डा0 आर0सी0पन्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अल्मोडा।
3. डा0 कमलेश जोशी जिला सर्विलेन्स अधिकारी, अल्मोडा।
4. श्री पीताम्बर प्रसाद जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास अल्मोड़ा।
5. डा0रश्मि आर्या चिकित्साधिकारी सामु0स्वा0केन्द्र सल्ट, अल्मोडा।
6. डा0 अक्षय चिकित्साधिकारी, सामु0स्वा0केन्द्र सल्ट, अल्मोडा।
7. डा0 रंजन तिवारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी प्रा0स्वा0 केन्द्र हवालबाग, अल्मोडा।
8. डा0 प्रीति पन्त बाल रोग विशेषज्ञ, महिला चिकित्सालय अल्मोडा।
9. डा0 हेमलता स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सालय अल्मोड़ा।
10. डा0 कविता पोखरिया निश्चेतक जिला अस्पताल अल्मोड़ा।
11. डा0 डी0एस0 नबियाल प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र ताड़ीखेत, अल्मोड़ा।
12. डा0 हेमा तिवारी, महिला चिकित्साधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र पनुवानौला, अल्मोडा।
13. डा0 श्रेया सागर चिकित्सा अधिकारी, प्रा0स्वा0 केन्द्र ताकुला अल्मोड़ा।
14. डा0 नीलेश भटट चिकित्साधिकारी सामु0स्वा0केन्द्र चौखुटिया, अल्मोडा।
15. डा0 उदित पाण्डे चिकित्साधिकारी, सामु0स्वा0केन्द्र धौलादेवी, अल्मोडा।
16. डा0 सना अन्सारी महिला चिकित्साधिकारी प्रा0स्वा0केन्द्र हवालबाग, अल्मोड़ा।
17. डा0 मीनाक्षी पाण्डे महिला चिकित्साधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र भैसियाछाना अल्मोड़ा।
18. डा0 मानसी सिंह महिला चिकित्साधिकारी सामु0स्वा0केन्द्र सल्ट अल्मोड़ा।
19. डा0 शुभम चिकित्सा अधिकारी प्रा0स्वा0केन्द्र ताकुला, अल्मोड़ा।
20. डा0 सूरज सिंह गैड़ा चिकित्सा अधिकारी सामु0स्वा0 केन्द्र धौलादेवी, अल्मोड़ा।
21. श्री संजय जोशी, जिला डाटा प्रबन्धक , एन0एच0एम0 अल्मोडा
22. श्री गोकुलानन्द जोशी डी0सी0एम0 आशा कार्यक्रम एन0एच0एम0, अल्मोडा।

- बैठक का शुभारम्भ करते हुए सर्वप्रथम मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा समस्त सदस्यों का स्वागत करते हुए फैमिली प्लानिंग इन्डेमिनिटी स्कीम की विस्तृत जानकारी दी गयी।
- जिला अधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि परिवार कल्याण असफल केसों की दावा प्राप्ति हेतु ब्लाक स्तर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाय तथा प्रत्येक लाभार्थी का दावा प्रपत्र नियत समय के अन्दर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध हो जायें तथा प्रभारी अधिकारी अपने विकासखण्ड में जो भी असफल दावा प्रपत्र प्राप्त हो उसका पूर्ण विवरण रजिस्टर बनवाकर उसमें अंकित करें ताकि कभी भी कोई भी जानकारी ली जा सके।
- परिवार कल्याण असफल केसों के दावा क्लेम निर्धारित समय पर प्रस्तुत किये जाने हेतु लाभार्थियों को क्लेम समय सीमा 90 दिनो के अन्दर दावा प्रस्तुत करने हेतु कैम्पों में लाभार्थीयों को उक्त जानकारी दिया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि परिवार नियोजन असफल दावे प्रपत्रों को विकासखण्ड स्तर से सही क्लेम फार्म में भरकर तथा प्रपत्र पूर्ण करने के उपरान्त ही अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित किये जायें।
- जनपद स्तर पर डा0 हेमा रावत मिनीलैप सर्जन, महिला चिकित्सालय, अल्मोड़ा, डा0 अखिलेश जिला चिकित्सालय, डा0 बी0बी0 जोशी सामु0स्वा0केन्द्र धौलादेवी, डा0 विवेक पंत प्रा0स्वा0 केन्द्र भतरोजखान, डा0 रविशंकर सामु0स्वा0केन्द्र द्वाराहाट एन0एस0वी0 सर्जन को जिला क्वालिटी एश्योरेन्स समिति द्वारा परिवार कल्याण नसबन्दी सेवा हेतु इम्पैनल किया गया।

- **समिति के समक्ष निम्नानुसार परिवार कल्याण नसबन्दी असफल दावे निस्तारण हेतु प्रस्तुत किये गये–**

1. श्रीमती शोभा देवी पत्नी श्री कमल प्रसाद ग्राम पेटशाल, भैसियाछाना, अल्मोडा की नसबन्दी दि0 11.02.2020 को डा0 राजेन्द्र सिंह द्वारा की गयी तथा असफल होने की तिथि 16.03.2023 को एंव प्रस्तुतिकरण तिथि 11.05.2023 के असफल, दावे रू0 60000.00 के भुगतान का अनुमोदन जिला क्वालिटी एश्योरेन्स समिति द्वारा किये जाने के उपरान्त राज्य क्वालिटी एश्योरेन्स कमेटी को अनुमोदन हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. श्रीमती जानकी देवी पत्नी श्री जगदीश राम ग्राम सुनारी पोखरी रनमन, ताकुला ,अल्मोडा की नसबन्दी दि0 27. 02.2014 को डा0 मंजू पाण्डे द्वारा की गयी तथा असफल होने की तिथि 28.04.2023 को एंव प्रस्तुतिकरण तिथि 26.05.2023 के असफल दावे रु0 60000.00 के भुगतान का अनुमोदन जिला क्वालिटी एश्योरेन्स समिति द्वारा किये जाने के उपरान्त राज्य क्वालिटी एश्योरेन्स कमेटी को अनुमोदन हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा बैठक का समापन करते हुए निर्देशित किया गया कि जो भी असफल दावा प्रपत्र प्राप्त हो उसको विकासखण्ड स्तर पर एक पंजिका में अंकित करने एवं समस्त दस्तावेजों की पुष्टि करने के उपरान्त ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अग्रसारित किया जाय एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनका अवलोकन करने के उपरान्त समिति के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें एवं पूर्व के दावा प्रपत्र जिनका अभी तक निस्तारण नही हो पाया है उनके निस्तारण हेतु महानिदेशलाय को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
अल्मोडा

13/7/2023

जिला अधिकारी
अल्मोड़ा

दिनांक 19 अगस्त, 2023 को आयोजित जिला परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति उप–समिति की बैठक कार्यवृत्त :–

आज दिनांक 19 अगस्त, 2023 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिवार नियोजन क्षतिपूति उप–समिति, चम्पावत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय क्वालिटी ऐश्यूरेन्स कमेटी तथा जिला परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति उप–समिति की बैठक का आयोजन, सभागार जिला कार्यालय चम्पावत में किया गया। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया–

1. डा0 के0के0 अग्रवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत।
2. डा0 कुलदीप सिंह यादव, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी–एन0एच0एम0, चम्पावत।
3. डा0 चन्द्र शेखर भट्ट, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/बाल रोग विशेषज्ञ, चम्पावत।
4. डा0 सोनाली मण्डल, सेवा प्रदाता–एफ0पी0आई0एस0, एस0डी0एच0, लोहाघाट।
5. डा0 प्रदीप सिंह बिष्ट, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, चम्पावत।
6. डा0 गुरूशरण कौर, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, पाटी।
7. डा0 मंजीत सिंह, प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, बाराकोट।

सर्वप्रथम जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्तरीय क्वालिटी ऐश्यूरेन्स कमेटी, चम्पावत द्वारा बैठक में उपस्थिति प्रतिभागियों/सदस्यों का स्वागत किया गया तथा सभी प्रतिभागियों/सदस्यों का परिचय लेते हुए बैठक प्रारम्भ की गयी। बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर निर्णय/चर्चा की गयी–

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में असफल नसबन्दी दावा प्रकरणों के निस्तारण हेतु कुल 04 दावा प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जिन्हें जनपदीय समिति से अनुमोदन के उपरान्त राज्य स्तर को अग्रसारित किया जाना है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा असफल नसबन्दी के Failure Rate के सम्बन्ध में जानकारी चाही गयी तथा गाईडलाईन के अनुसार सभी केसों की समीक्षा के उपरान्त ही राज्य स्तर को अग्रसारित करने के निर्देश दिये गये। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत द्वारा केसवार सूचना समिति के सम्मुख प्रस्तुत की गयी तथा निम्नलिखित प्रकार से समीक्षा की गयी–

केस संख्या–01, श्रीमती जीवन्ती देवी पत्नी श्री ईश्वरी दत्त–

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमती जीवन्ती देवी पत्नी श्री ईश्वरी दत्त, निवासी ग्राम–पल्सों, पो0–चम्पावत, जनपद चम्पावत का नसबन्दी ऑपरेशन दिनांक 18.07.2018 को जिला चिकित्सालय चम्पावत में सर्जन, डा0 आर0पी0 खण्डूरी द्वारा किया गया। दिनांक 23.01.2020 को जिला चिकित्सालय, चम्पावत में जॉच के उपरान्त श्रीमती जीवन्ती देवी गर्भवती पायी गयी तथा दिनांक 17.03.2020 को इनके द्वारा असफल नसबन्दी दावा भुगतान हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत को प्रस्तुत किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अगवत कराया गया कि वर्ष 2018–19 में कुल 527 महिला नसबन्दी ऑपरेशन कराये गये जिसके सापेक्ष उपरोक्त 01 केस असफल रहा। समीक्षा के दौरान पाया गया कि असफलता दर 18.5 प्रति हजार के सापेक्ष जनपद में वर्ष 2018–19 में नसबन्दी केसों की असफलता दर 1.89 प्रति हजार रही तथा उक्त असफल केस गाईड–लाईन के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए समयान्तर्गत प्राप्त हुआ है, जिसे असफल नसबन्दी दावा भुगतान हेतु संस्तुति सहित राज्य क्वालिटी ऐश्योरेन्स समिति को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

केस संख्या–02, श्रीमती नेहा देवी पत्नी श्री मनोज राम–

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमती नेहा देवी पत्नी श्री मनोज राम, निवासी ग्राम–किमतोली, पो0–लोहाघाट, जनपद चम्पावत का नसबन्दी ऑपरेशन दिनांक 04.01.2016 को सामु0स्वा0केन्द्र, लोहाघाट में सर्जन, डा0 आर0पी0 खण्डूरी द्वारा किया गया। दिनांक 28.07.2021 को उप जिला चिकित्सालय, लोहाघाट में जॉच के उपरान्त श्रीमती नेहा देवी 12 सप्ताह 03 दिन की गर्भवती पायी गयी तथा दिनांक 28.07.2021 को इनके द्वारा असफल नसबन्दी दावा भुगतान हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत को प्रस्तुत किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अगवत कराया गया कि वर्ष 2016–17 में कुल 609 महिला नसबन्दी ऑपरेशन कराये गये जिसके सापेक्ष कुल 03 केस असफल रहे। समीक्षा के दौरान पाया गया कि असफलता दर 18.5 प्रति हजार के सापेक्ष जनपद में वर्ष 2016–17 में नसबन्दी केसों की असफलता दर 4.92 प्रति हजार रही तथा उक्त असफल केस गाईड–लाईन के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए समयान्तर्गत प्राप्त हुआ है, जिसे असफल नसबन्दी दावा भुगतान हेतु संस्तुति सहित राज्य क्वालिटी ऐश्योरेन्स समिति को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

केस संख्या–03, श्रीमती चन्द्रा भट्ट पत्नी श्री बसन्त बल्लभ भट्ट–

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमती चन्द्रा भट्ट पत्नी श्री बसन्त बल्लभ भट्ट, निवासी ग्राम–रौंसाल, पो0–रौंसाल, जनपद चम्पावत का नसबन्दी ऑपरेशन दिनांक 08.01.2015 को सामु0स्वा0केन्द्र, लोहाघाट में सर्जन, डा0 आर0पी0 खण्डूरी द्वारा किया गया। दिनांक 21.06.2022 को जिला चिकित्सालय, चम्पावत में जॉच के उपरान्त श्रीमती नेहा देवी गर्भवती पायी गयी तथा दिनांक 01.07.2022 को इनके द्वारा असफल नसबन्दी दावा भुगतान हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत को प्रस्तुत किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अगवत कराया गया कि वर्ष 2014–15 में कुल 703 महिला नसबन्दी ऑपरेशन कराये गये जिसके सापेक्ष कुल 06 केस असफल रहे। समीक्षा के दौरान पाया गया कि जनपद में वर्ष 2014–15 में नसबन्दी केसों की असफलता दर 8.53 प्रति हजार रही जो सम्भावित दर की सीमा के अन्तर्गत है तथा उक्त असफल केस गाईड–लाईन के अनुसार समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए समयान्तर्गत प्राप्त हुआ है, जिसे असफल नसबन्दी दावा भुगतान हेतु संस्तुति सहित राज्य क्वालिटी ऐश्योरेन्स समिति को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

केस संख्या–04, श्रीमती रीता देवी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद–

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत द्वारा अवगत कराया गया कि श्रीमती रीता देवी पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद, निवासी ग्राम–फागपुर, पो0–चन्दनी टनकपुर, जनपद चम्पावत का नसबन्दी ऑपरेशन दिनांक 19.02.2015 को उप जिला चिकित्सालय टनकपुर में सर्जन डा0 आर0पी0 खण्डूरी द्वारा किया गया। दिनांक 25.01.2016 को जिला चिकित्सालय, चम्पावत में जॉच के उपरान्त श्रीमती रीता देवी गर्भवती पायी गयी तथा दिनांक 26.02.2016 को इनके द्वारा असफल नसबन्दी दावा भुगतान हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत को प्रस्तुत किया गया।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत द्वारा अगवत कराया गया कि उक्त प्रकरण दिनांक 19 जुलाई, 2016 को आयोजित जिला स्तरीय क्वालिटी ऐश्यूरेन्स कमेटी की बैठक में संस्तुति उपरान्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत के कार्यालय पत्रांक/रा0का0/प0क0/2016–17/1611 दिनांक 22.10.2016 द्वारा अपर निदेशक (परिवार कल्याण), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, देहरादून को दावा भुगतान हेतु अनुमोदन सहित अग्रसारित किया गया था। निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक–UKHFWS/FPIS/3/22-23/100 दिनांक 15 अप्रैल, 2023 द्वारा **"दावा प्रपत्र सत्यापित नहीं हैं, जिला इण्डेमिनिटी उपसमिति की रिपोर्ट संलग्न नहीं है, वापस"** अंकित करते हुए त्रुटियों के निराकरण हेतु दावा प्रपत्र प्रत्यावर्तित किया गया है। अवगत कराया गया कि वर्तमान में दावा प्रपत्र सत्यापित कर दिया गया है तथा सम्बन्धित केस की नसबन्दी असफलता दर 8.53 प्रति हजार है। समीक्षा के उपरान्त उक्त समिति द्वारा उक्त असफल नसबन्दी दावा भुगतान हेतु संस्तुति सहित पुनः राज्य क्वालिटी ऐश्योरेन्स समिति को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति उप–समिति,
चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी, चम्पावत।

पत्रांक संख्या–रा0का0/एन0एच0एम0/जि0क्वा0ए0स0/2023–24/ दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अध्यक्ष, राज्य क्वालिटी ऐश्यूरेन्स कमेटी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. समस्त सदस्य, जिला परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति उप–समिति, चम्पावत।

4.9.2023

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति उप–समिति,
चम्पावत।

नसबंदी लाभार्थियों की क्वालिटी कंटोल समिति से अनुमोदन वर्ष 2022–23 जनपद देहरादून।

कम सं0	लाभार्थी का नाम व पता	आवेदन प्राप्ति की तिथि	आपरेशन का दिनांक	अल्ट्रासाउन्ड का दिनांक	पता लगने की तिथि को सप्ताह	आपरेशन से पता लगने की तिथि तक की अवधि	आवेदन प्राप्ति की चिकित्सा इकाई	परिणाम
1.	श्रीमती कविता पत्नी श्री जितेन्द्र चौहान ग्राम–चुनोटी पो0–बरौंथा,चकराता।	08.11.2022	22.03.2019	26.08.2022	13 सप्ताह 05 दिन 96दिन	1252 दिन	जि0चि0 देहरादून	असफल
2.	श्रीमती सुन्दर सिहं पत्नी श्री सुन्दर सिहं ग्राम–प्रेमपुर माफी कौलागढ	02.02.2022	17.03.2022	16.12.2021	06 सप्ताह 0 दिन 42दिन	274 दिन	उ0जि0चि0 प्रेमनगर	असफल
3.	श्रीमती उर्मिला चौहान पत्नी श्री अमर सिहं ग्राम–मुन्धान कालसी	20.06.2022	23.01.2020	27.05.2022	07 सप्ताह 05 दिन 54दिन	844 दिन	प्रा0स्वा0 के0 कालसी	असफल
4.	श्रीमती कुलदीप कौर पत्नी श्री गुरनाम सिहं ग्राम–फतेह पुर टांडा डोईवाला	25.08.2021	16.07.2021	एम0टी0पी0 प्रमाणपत्र संलग्न	–	–	सामु0स्वा0के0 डोईवाला	असफल
5.	श्रीमती दीपिका देवी पत्नी श्री रविन्द्र ग्राम–पणायशा पो0 विरमऊ चकराता	04.08.2021	19.11.2017	08.07.2021	09 सप्ताह 02 दिन 65दिन	1336 दिन	उ0जि0चि0 विकासनगर	असफल
6.	श्रीमती सुलेखा पत्नी श्री मोनू दास ग्राम–बामनवाला देहरादून	30.07.2019	09.12.2018	19.07.2019	09सप्ताह 03 दिन 66दिन	225 दिन	पी0पी0सी0दून	असफल
7.	श्रीमती मीरा रावत पत्नी श्री प्रमोद सिह आर्दश कालोनी नेहरूग्राम देहरादून	01.02.2020	15.01.2019	एम0टी0पी0 प्रमाणपत्र संलग्न	–	–	सामु0स्वा0के0 रायपुर	असफल
8.	श्रीमती धन्नो पत्नी श्री घ्यानू ग्राम–छुल्टाड पो0काण्डोई बोन्दार चकराता	28.01.2011	18.12.2017	03.10.2017	22सप्ताह 01 दिन 155दिन	2129 दिन	सामु0स्वा के0 चकराता	असफल
9.	श्रीमती प्रभा पत्नी श्री लाल सिहं ग्राम–काण्डोई चकराता	29.12.2015	13.09.2016	04.07.2016	08सप्ताह 0 दिन 56दिन	187 दिन	उप जिला चिकि0विकासनगर	असफल

4. Details of Depen

10.	श्रीमती नीलम पत्नी श्री रूप सिह ग्राम–कैचीवाला सहसपुर	28.01.2016	01.05.2017	23.03.2017	08सप्ताह 0 दिन 56दिन	419 दिन	सामु0स्वा0के0 सहसपुर	असफल
11.	श्रीमती फरमान पुत्र श्री अयुब अली ग्राम–लाघां रोड छरबा सहसपुर	29.06.2017	11.01.2014	26.05.2017	सीमेन रिर्पोट संलग्न है।	225 दिन	सहसपुर	असफल
12.	श्रीमती सुमन पत्नी श्री राजेश ग्राम–कल्याणपुर देहरादून	03.11.2017	03.04.2015	26.03.2017	12सप्ताह 03 दिन 87दिन	722 दिन	सहसपुर	असफल

वरिष्ठ सर्जन/सदस्य क्वालिटी इंश्योरेन्स कमेटी
देहरादून।

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (एन0एच0एम0)
देहरादून।

मुख्य चिकित्साधिकारी
देहरादून।